



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 300 राँची, बुधवार,

24 मई, 2023 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

संकल्प

30 अप्रैल, 2023

संख्या- 01/नीति-05-02/2022-1008--

विषय:- "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह हेतु आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 से JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में ।

राजस्व संवर्द्धन हेतु नीतियों के गठन एवं इनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड एवं झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की परामर्शी एजेन्सी CSMCL (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड) से प्राप्त परामर्श एवं प्रस्ताव के आलोक में "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" का गठन किया गया। उक्त नियमावली के तहत झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु अनन्य विशेषाधिकार के तहत अनुज्ञप्ति निर्गत की गई। JSBCL के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु संपूर्ण झारखंड राज्य को

दस जोन में विभक्त करते हुए एइन दस जोन में दिनांक 01.05.2022 से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन हेतु नियमानुसार चार प्लेसमेंट एजेन्सियों का चयन JSBCL के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया।

"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के नियम 15 के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की प्राप्ति के अनुरूप बिक्री की राशि प्राप्त नहीं होने पर राजस्व क्षति के समतुल्य राशि की कटौती प्लेसमेंट एजेन्सियों के द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई जमानत राशि से किये जाने संबंधी प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.05.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में प्लेसमेंट एजेन्सियों के द्वारा निर्धारित बिक्री लक्ष्य से कम की बिक्री की गई, के फलस्वरूप हुई राजस्व क्षति, कुल मो0 448.44 करोड़ रुपये की राजस्व के समतुल्य राशि की वसूली JSBCL द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सियों से की जानी है। इस राशि में से लगभग मो0 35,57,72,782/- रुपये की वसूली प्लेसमेंट एजेन्सियों के द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी तथा उनके द्वारा समर्पित अभिश्रव से सामंजित किया गया है। JSBCL का इन प्लेसमेंट एजेन्सियों से एकरारनामा दिनांक 30.04.2023 तक ही है एवं उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेन्सियों के कार्य आवंटन को वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 30.04.2023 से आगे विस्तारित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। नई प्लेसमेंट एजेन्सियों को Empanel करने के दृष्टिकोण से JSBCL के द्वारा विभिन्न तिथियों के माध्यम से कुल 10 बार निविदा प्रकाशित की गई है, परंतु इच्छुक निविदादाताओं की कमी के कारण केवल दो जोन में ही प्लेसमेंट एजेन्सियों का नये सिरे से चयन किया जा सका है।

JSBCL के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कर्मियों को प्राप्त किया जाना अत्यावश्यक है। उल्लेखनीय है कि चयनित एजेन्सी M/s GDS Facility Pvt. Ltd. द्वारा पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के लिए तथा M/s JMD Services Pvt. Ltd. द्वारा गिरिडीह एवं देवघर जिला के लिए बैंक गारंटी की राशि जमा की गई है। M/s Urmila International Services Pvt. Ltd. के द्वारा निविदा में सफल होने के बावजूद बैंक गारंटी को जमा करने से इंकार कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.05.2023 से मात्र दो जोन में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु ही प्लेसमेंट एजेन्सियाँ पूर्णतः चयनित हैं एवं उनके द्वारा बैंक गारंटी की राशि जमा की गई है। जिस जोन में प्लेसमेंट एजेन्सियाँ चयनित हैं, परंतु उनके द्वारा बैंक गारंटी की राशि जमा नहीं की गई है अथवा वैसे जोन (राँची, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला खरसावाँ, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूँटी एवं चतरा जिला), जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सियों का चयन नहीं हो पाया है, वहाँ पर दिनांक 01.05.2023 से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की संभावना शून्य है। यह स्थिति राजस्वहित में नहीं है। दिनांक 01.05.2023 से इन जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन नहीं होने पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति होगी एवं खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के अभाव में अवैध शराब की बिक्री को बल मिलेगा। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में उत्पाद राजस्व संग्रहण एवं इसके संरक्षण के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 89 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से संबंधित किसी नीतिगत परिवर्तन से संबंधित नयी व्यवस्था लागू होने तक अथवा संबंधित जोन में प्लेसमेंट एजेन्सियों के पूर्णरूपेण चयन होने तक झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, अधिकतम चार माह हेतु आपात व्यवस्था के तहत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 से JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित शर्तों के तहत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया -

- i. "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022", के तहत जिस जोन हेतु प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन नहीं हो पाया है, उस जोन में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन आपात व्यवस्था के तहत अधिकतम चार माह हेतु राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 से दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर JSBCL द्वारा की जा सकेगी।
- ii. दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा वैसे कर्मियों से ली जा सकेगी, जिनका चयन "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के नियम 24 एवं 25 में वर्णित प्रावधान के तहत की गई हो। उक्त सभी दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों का चयन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (जिला प्रबंधक, JSBCL) के समक्ष शपथ पत्र समर्पित करने के उपरांत ही किया जा सकेगा। शपथ पत्र का प्रारूप जिला उत्पाद पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, JSBCL के द्वारा उक्त दैनिक पारिश्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- iii. दैनिक पारिश्रमिक के रूप में सेवा दे रहे विक्रेताओं का पारिश्रमिक भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (जिला प्रबंधक, JSBCL) के द्वारा किया जायेगा। पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि JSBCL (मुख्यालय) के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- iv. खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की प्राप्ति हेतु निर्धारित बिक्री लक्ष्य की प्राप्ति में कमी होने पर जिला में नियुक्त उत्पाद अधिकारियों/कर्मियों एवं सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (जिला प्रबंधक, JSBCL) की जिम्मेवारी निर्धारित की जायेगी एवं उनके विरुद्ध समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के द्वारा नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (जिला प्रबंधक, JSBCL) द्वारा जिला में पदस्थापित अधीनस्थ निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद की भी जिम्मेवारी क्षेत्रवार निर्धारित की जायेगी एवं बिक्री लक्ष्य की प्राप्ति में कमी हेतु अनुशासनिक कार्रवाई नियमानुसार की जा सकेगी। संबंधित जिला के उपायुक्त इस अवधि में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन एवं राजस्व संग्रहण के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु विशेष व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

मानव प्रदाता एजेन्सी के अभाव में राजस्व संरक्षण हेतु JSBCL द्वारा "झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022", के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- v. खुदरा उत्पाद दुकानों में बिक्री की राशि में चोरी या कमी होने अथवा जानबूझ कर दुकान में मौजूद स्कन्ध की क्षति किये जाने की स्थिति में दुकान में कार्यरत कर्मियों की जिम्मेवारी तय की जायेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
- vi. खुदरा उत्पाद दुकानों में अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री करने, मदिरा को अपमिश्रित करने तथा Non-duty Paid अवैध मदिरा पाये जाने पर ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के अधीन अभियोजन दर्ज किया जायेगा।
- vii. इस आपात व्यवस्था को लागू करने के लिए आयुक्त उत्पाद एवं प्रबंध निदेशक, JSBCL आपसी सहमति से आवश्यक निदेश जारी कर सकेंगे।
- viii. इस आपात व्यवस्था के लागू रहने की अवधि में JSBCL सभी जोन के लिए प्लेसमेंट एजेन्सी के चयन हेतु नियमानुसार प्रयास करता रहेगा।
- ix. प्रतिदिन खुदरा उत्पाद दुकानों में स्कन्धों का संधारण विहित प्रपत्र में विक्रेताओं एवं क्षेत्रीय निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
